कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री स्वास्तिक कम्पोनेन्ट्स प्रा0 लि0, ए-89, सेक्टर-58, नोएडा।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**049 / 13, 07.10.2013**
प्रार्थी की ओर से	**श्री अरविन्द शर्मा, विद्वान अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री स्वास्तिक कम्पोनेन्ट्स प्रा0 लि0, ए-89, सेक्टर-58, नोएडा द्वारा दिनांक 07.10.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा '' Sintered Bushes and parts '' पर वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर जाननी चाही गयी है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री अरविन्द शर्मा, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि Sintered Bushes एक प्रकार के Rolling Elements हैं जिन पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-15 के अन्तर्गत करदेयता होनी चाहिए।

3. उपरोक्त संदर्भ में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग-बी, गौतम बुद्ध नगर द्वारा पत्र संख्या-894, दिनांक 31.10.2013 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए के क्रमांक-15, क्रमांक-48 तथा क्रमांक-80 पर अंकित प्रविष्टियों का उल्लेख करते हुए इनमें से किसी एक प्रविष्टि के अन्तर्गत मानते हुए अपने उत्पाद Sintered Bushes and parts को 4% की दर से कर देय करने का अनुरोध किया गया है। प्रार्थी द्वारा निर्मित वस्तु किस प्रविष्टि में आयेगी वे स्वयं स्पष्ट नहीं हैं । फर्म द्वारा उक्त प्रविष्टियों का उल्लेख करते हुए उनके द्वारा निर्मित वस्तु को उपरोक्त किसी एक प्रविष्टि में मानने का अनुरोध किया गया है जो उचित नहीं है। चूँकि प्रार्थी द्वारा निर्मित माल उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 में विज्ञापित किसी अनुसूची में नहीं आता है अत: उसे अवर्गीकृत वस्तु की भाँति मानते हुए तदनुसार करदेयता निर्धारित किया जाना न्यायोचित होगा।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा Sintered Bushes and parts पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% की दर से कर वसूला व विभाग में जमा किया जा रहा है। स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा कर वसूलने व जमा करने के साथ ही मासिक रिटर्न फार्म-24 भी विभाग में नियमित रूप से जमा किया जा रहा है जिसके कारण प्रार्थी के प्रकरण में कर-निर्धारण अधिकारी के समक्ष कार्यवाही विचाराधीन है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर-निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-35 एवं उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-

....2

59 के प्राविधान समान हैं। धारा-35 के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कमिश्नर बिक्रीकर, उ0 प्र0 बनाम सर्वश्री राना मसाला उद्योग 1983 ATJ 240 के वाद में यह व्यवस्था दी है कि एक बार रिटर्न जमा करने के बाद कमिश्नर धारा-35 के अन्तर्गत प्रश्न को निर्धारित करने के लिए सक्षम नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग-बी, गौतम बुद्ध नगर द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रश्नकर्ता प्रार्थी नियमित रूप से मासिक / त्रैमासिक रिटर्न तथा कर जमा करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर (1964 AIR 766) एवं माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-35 के सम्बन्ध में पारित निर्णय कमिश्नर बिक्रीकर, उ0 प्र0 बनाम सर्वश्री राना मसाला उद्योग 1983 ATJ 240 के आलोक में मासिक रिटर्न फार्म-24 जमा करने के कारण कर-निर्धारण अधिकारी के समक्ष कार्यवाही विचाराधीन है। अत: धारा-59 (1) के प्राविधानों के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 30 जून, 2014

ह0 / 30.06.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।